15-02-2023

संसदीय विशेषाधिकार

समाचार पत्रों में क्यों?

हाल ही में कुछ विपक्षी नेताओं द्वारा संसद के सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने भाषण के कुछ हिस्सों को हटाने का विरोध किया जा रहा है।

त्वरित मुद्दा?

- विपक्षी कांग्रेस ने गुरुवार को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ द्वारा विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे के भाषण के कुछ हिस्सों को आधिकारिक रिकॉर्ड से हटाने पर आपत्ति जताई। पार्टी ने दावा किया कि उन्होंने किसी असंसदीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया और उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए कुछ शब्दों का इस्तेमाल पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी किया था। हालांकि, धनखड़ ने समीक्षा से इनकार करते हुए कहा कि वह पहले ही फैसला कर चुके हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- अनुच्छेद 105 के तहत संसद सदस्य को बोलने की स्वतंत्रता दी गई है।
- यह संसद के सदनों, इसके सदस्यों और समितियों की शक्तियों तथा विशेषाधिकारों से संबंधित है, इसमें निम्नलिखित प्रावधान हैं -
  - संसद सदस्यों को संसद में बोलने की स्वतंत्रता होगी
  - सांसदों को संसद में अपने कर्तव्यों के दौरान दिए गए किसी बयान या किए गए कार्य के लिए किसी भी कानूनी कार्रवाई से छूट दी गई है।

संसद का कोई सदस्य उत्तरदायी नहीं होगा -

- संसद में उनके द्वारा कही गई या दिए गए किसी मत के संबंध में किसी भी अदालत में किसी भी कार्यवाही के लिए।
- संसद के किसी भी सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी रिपोर्ट, पेपर, मत या कार्यवाही के प्रकाशन के लिए।
- ऐसी शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां समय-समय पर संसद द्वारा कानून द्वारा परिभाषित की जायेंगी।
- जब तक संसद द्वारा उन्हें परिभाषित नहीं किया जाता है,

तब तक, वही उन्मुक्तियां लागू होंगी, जो संविधान (44वां संशोधन) अधिनियम, 1978 के लागू होने से ठीक पहले प्रभावी थे।

- उपरोक्त प्रावधान उन व्यक्तियों पर भी लागू होंगे जिन्हें संसद के किसी सदन/उसकी किसी समिति की कार्यवाही में बोलने/भाग लेने का अधिकार है।
- यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि सांसद अपनी संसदीय जिम्मेदारियों को बिना किसी बाधा/भय के निभा सकें और संसद के अधिकार, गरिमा को बनाए रख सकें।
- संविधान का अनुच्छेद 121 संसद में किसी भी न्यायाधीश के आचरण (SC/HC में अपने कर्तव्यों का पालन करते समय) की चर्चा को प्रतिबंधित करता है।
- लेकिन, न्यायाधीश को हटाने की अनुशंसा करने वाले समावेदन को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के प्रस्ताव पर चर्चा की जा सकती है।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 105 (2) एक संसद सदस्य को अदालत में कार्यवाही के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है जो संसद में उसके द्वारा कही गई किसी भी बात या दिए गए मत से संबंधित है।
- अनुच्छेद 105 सदस्यों को संसदीय बहसों में निडरता से भाग लेने में सक्षम करता है और इन सदस्यों को उन सभी दीवानी और आपराधिक कार्यवाही के खिलाफ व्यापक सुरक्षा प्रदान करता है, जो संसद में उनके द्वारा दिए गए भाषण या मत से संबंधित हैं।

अन्य प्रमुख तथ्य?

अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 105 में तुलना

- दोनों अनुच्छेद बोलने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, हालांकि, अनुच्छेद 105 संसद सदस्यों पर लागू है।
- दूसरी ओर, अनुच्छेद 19(1)(ए) नागरिकों पर लागू होता है और उचित प्रतिबंधों के अधीन है।
- अनुच्छेद 105 सांसदों को दिया गया एक विशेषाधिकार है, इस विशेषाधिकार का उपयोग संसद परिसर में किया जा सकता है न कि संसद के बाहर।

सामूहिक विशेषाधिकार

- संसद के दोनों सदनों के संबंध में सामूहिक विशेषाधिकार निम्न हैं:-
- इसे अपनी रिपोर्ट, वाद-विवाद और कार्यवाही को प्रकाशित करने तथा अन्यों को इसे प्रकाशित न करने देने का भी अधिकार है।
- 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने सदन की पूर्व अनुमति बिना संसद की कार्यवाही की सही रिपोर्ट के प्रकाशन की प्रेस की स्वतंत्रता को पुनर्स्थापित किया किंतु यह सदन की गुप्त बैठक के मामले में लागू नहीं है।
- यह अपनी कार्यवाही से अतिथियों को बाहर कर सकती है तथा कुछ आवश्यक मामलों पर विचार-विमर्श हेतु गुप्त बैठक कर सकती है।
- यह अपनी कार्यवाही के संचालन, कार्य के प्रबंध तथा इन मामलों के निर्णय हेतु नियम बना सकती है।
- यह सदस्यों के साथ-साथ बाहरी लोगों को इसके विशेषाधिकारों के हनन या सदन की अवमानना करने पर निंदित, चेतावनी या कारावास द्वारा दंड दे सकती है (सदस्यों के मामले में बर्खास्तगी या निष्कासन भी)।
- इसे किसी सदस्य की बंदी, अवरोध, अपराध सिद्धि, कारावास या मुक्ति संबंधी तत्कालिक सूचना प्राप्त करने का अधिकार है।
- यह जांच कर सकती है तथा गवाह की उपस्थिति तथा संबंधित पेपर तथा रिकॉर्ड के लिए आदेश दे सकती है।

- न्यायालय, सदन या इसकी समिति की कार्यवाही की जांच के लिए निषेधित है।
- सदन क्षेत्र में पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना कोई व्यक्ति (सदस्य या बाहरी व्यक्ति) बंदी नहीं बनाया जा सकता और न ही कोई कानूनी कार्यवाही (सिविल या आपराधिक) की जा सकती है।

व्यक्तिगत विशेषाधिकार

- संसद सदस्यों को संसद की कार्यवाही के दौरान, संसद सत्र के शुरू होने से 40 दिन पूर्व तथा समाप्त होने के 40 दिन बाद तक बंदी नहीं बनाया जा सकता है।
- यह अधिकार केवल नागरिक मुकदमों में उपलब्ध है, आपराधिक तथा प्रतिबंधात्मक निषेध मामलों में नहीं।
- उन्हें संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता है। कोई सदस्य संसद या इसकी समिति में दिए गए वक्तव्य या मत के लिए किसी भी न्यायालय की किसी भी कार्यवाही के लिए जिम्मेदार नहीं है।
- यह स्वतंत्रता, संविधान के प्रावधान तथा संसद की कार्यवाही के नियम एवं स्थायी आदेश के संचालन से संबंधित है।
- वे न्याय निर्णयन सेवा से मुक्त हैं, संसद के सत्र में होने के दौरान वे किसी न्यायालय में लंबित मुकदमे में प्रमाण प्रस्तुत करने या उपस्थिति होने के लिए मना कर सकते हैं।

जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग

समाचार पत्रों में क्यों?

हाल में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जम्मू और कश्मीर परिसीमन आयोग के गठन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया।

त्वरित मुद्दा?

- न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति ए एस ओका की एक पीठ ने कश्मीर के दो निवासियों द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति ओका ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस फैसले में किसी भी चीज को संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड एक और तीन के तहत शक्ति के प्रयोग का अनुमोदन नहीं माना जाएगा। पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 370 से संबंधित शक्ति के प्रयोग की वैधता का मुद्दा शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित याचिकाओं का विषय है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- भारत सरकार ने परिसीमन अधिनियम, 2002 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में जम्मू और कश्मीर परिसीमन आयोग का गठन किया था।
- इसका उद्देश्य विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना था।

- परिसीमन वर्ष 2011 की जनगणना पर आधारित है।
- जम्मू और कश्मीर का अंतिम परिसीमन वर्ष 1995 में किया गया था जब यह राज्य राष्ट्रपति शासन के अधीन था।
- जम्मू और कश्मीर विधानसभा द्वारा वर्ष 2002 में जम्मू और कश्मीर जनप्रतिनिधित्त्व अधिनियम में संशोधन कर वर्ष 2026 तक परिसीमन पर रोक लगा दी गई थी।
- जम्मू-कश्मीर में विधानसभा सीटों की कुल संख्या 107 से बढ़ाकर 114 कर दी गयी है।
- इन 114 में से 24 सीटें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी PoK के लिए आरक्षित हैं, जो खाली रहेंगी।
- परिसीमन आयोग ने विधानसभा के लिये सात अतिरिक्त निर्वाचन क्षेत्रों की सिफारिश की है, जिससे जम्मू संभाग में सीटों की संख्या 37 से 43 और कश्मीर घाटी में यह संख्या 46 से 47 हो गई है।
- संविधान के अनुच्छेद 330 व 332 तथा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार परिसीमन आयोग ने अनुसूचित जनजाति (STs) के लिये 9 विधान सभा क्षेत्र आरक्षित किये हैं।
- अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) के लिये पहली बार सीटें आरक्षित की गई हैं, पहले जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान ने विधान सभा में एस.टी. के लिये सीटों के आरक्षण का प्रावधान नहीं किया था।
- जम्मू-कश्मीर में कुल पांच संसदीय क्षेत्र (बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग-राजौरी, उधमपुर और जम्मू) हैं, और पहली बार सभी में समान संख्या में विधान सभा क्षेत्र (18) होंगे।
- सभी विधानसभा क्षेत्र संबंधित जिले की सीमा के भीतर रहेंगे।
- परिसीमन आयोग ने सभी 20 जिलों को तीन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया -

अन्य प्रमुख तथ्य?

परिसीमन

- 'परिसीमन' का शाब्दिक अर्थ है किसी देश या प्रांत में विधायी निकाय वाले निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने की प्रक्रिया।
- जनसंख्या में हुए परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करने के लिये लोक सभा व विधान सभा सीटों की सीमाओं के पुनर्गठन और पुनर्वितरण का कार्य परिसीमन कहलाता है।
- इस प्रक्रिया में, किसी राज्य को आवंटित सीटों की संख्या में परिवर्तन किया भी जा सकता है और नहीं भी। हालाँकि, किसी राज्य में एस.सी. और एस.टी. सीटों की संख्या को जनगणना के अनुसार बदल दिया जाता है।
- परिसीमन का उद्देश्य जनसंख्या के समान खण्डों के लिये विधायिका में समान प्रतिनिधित्त्व प्रदान करने के साथ-साथ भौगोलिक क्षेत्रों का इस प्रकार से उचित विभाजन करना है, जिससे किसी भी राजनीतिक दल को कोई अतिरिक्त लाभ न हो।
- साथ ही, परिसीमन का उद्देश्य 'एक मत एक मूल्य' के सिद्धांतों का अनुपालन करना भी है।
- उल्लेखनीय है कि परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये आदेश लोकसभा और सम्बंधित राज्य विधानसभाओं के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं परंतु इसमें संशोधनों की अनुमति नहीं होती है।

- **ए-** मुख्य रूप से पहाड़ी और कठिन क्षेत्रों वाले जिले
- **बी-** पहाड़ी और समतल क्षेत्रों वाले जिले
- **सी-** मुख्य रूप से समतल क्षेत्रों वाले जिले

- विधानसभा में कश्मीरी प्रवासियों के समुदाय से कम से कम दो सदस्यों (उनमें से एक महिला होनी चाहिये) का प्रावधान, जिनको पुडुचेरी की विधान सभा के मनोनीत सदस्यों के समान शक्ति दी जा सकती है।
- केंद्र सरकार पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों के प्रतिनिधियों के नामांकन के माध्यम से विधान सभा में कुछ प्रतिनिधित्व देने पर विचार कर सकती है।

भारत में मिला लिथियम का भंडार

समाचार पत्रों में क्यों?

देश में पहली बार लीथियम का भंडार मिला है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (GSI) ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। GSI ने बताया कि ऐसा पहली बार है जब देश में इतनी बड़ी तादाद में लीथियम मेटल (Lithium) का भंडार मिला है।

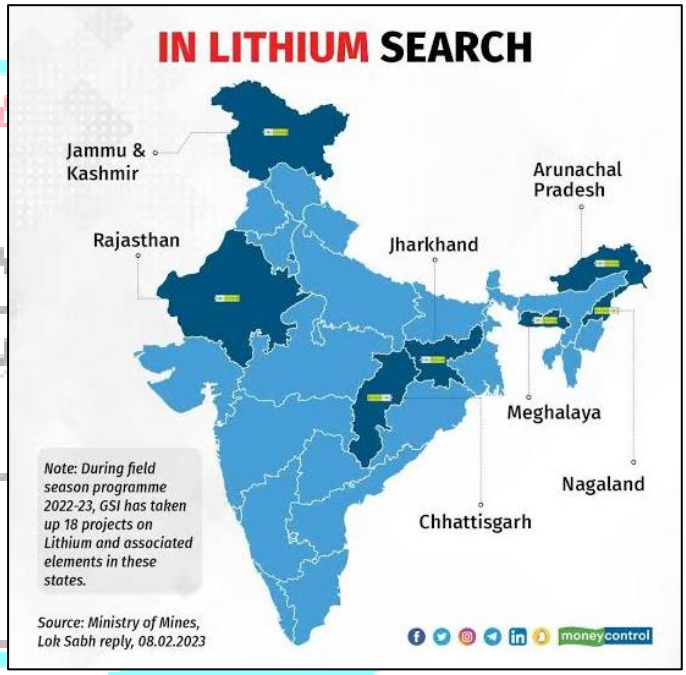

त्वरित मुद्दा?

- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को जम्मू-कश्मीर में रियासी जिले के सलाल-हैमाना इलाके में 59 लाख टन लिथियम संसाधन मिला है। अभी तक भारत लिथियम के लिए पूरी तरह दूसरे देशों पर निर्भर है। अभी इसके 50% भंडार तीन दक्षिण अमेरिकी देशों- अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली में हैं। लेकिन दुनिया का आधा प्रॉड्क्शन ऑस्ट्रेलिया में होता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- पहली बार भारत में लिथियम पाया गया है और यह थोड़ा बहुत नहीं बल्कि 59 लाख टन है। इससे भारत ने चिली और ऑस्ट्रेलिया के बाद तीसरे स्थान पर अपना नाम दर्ज कर लिया है, जिसके पास इतनी ज्यादा मात्र में लिथियम है।
- लिथियम का इस्तेमाल लैपटॉप, फोन, ई-व्हीकल्स जैसे उपकरणों की बैट्री बनाने के लिए किया जाता है।
- अब तक भारत लिथियम का 96 फीसदी हिस्सा आयात किया करता था। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को लिथियम के आयात के लिए 13,838 करोड़ रुपये खर्च करने पड़े थे। भारत लिथियम के आयात में विश्व में चौथे स्थान पर है।
- भारत सबसे ज्यादा लिथियम चीन और हॉगकॉग से इंपोर्ट करता था। आंकड़ों के मुताबिक, भारत जो लिथियम इंपोर्ट करता था, उसका 80 फीसदी हिस्से के लिए ये चीन पर निर्भर था। अब पाए गए लिथियम के बाद देश के लिथियम इंपोर्ट के समीकरण में भारी बदलाव देखने को मिलेगा।

- आंकड़ों के मुताबिक, विश्व में सबसे ज्यादा लिथियम का भंडार चिली में हैं, यहां कुल 93 लाख टन लिथियम है। इसके बाद दूसरे नंबर पर 63 लाख टन लिथियम भंडार के साथ ऑस्ट्रेलिया है। 59 लाख टन के साथ भारत अब तीसरे स्थान पर होगा।
- अभी इस रेअर अर्थ एलिमेंट के लिए भारत दूसरे देशों पर निर्भर है, लेकिन भंडार मिलने के बाद जल्द आत्मनिर्भर हो सकता है।

- पश्चिम से लेकर दक्षिण तक दुनिया के तमाम देश अब धीरे-धीरे अपने ट्रांसपोर्टेशन को ई-व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं ऐसे में लिथियम के मिलने से भारत में परिवहन क्षेत्र को नया आयाम मिलेगा।
- भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक भारत में चलने वाली 30% निजी कारें, 70% कमर्शियल वाहन और 80% टू-व्हीलर्स इलेक्ट्रिक हो जाएं।
- जाहिर है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत में लिथियम आयन बैटरी का उत्पादन बढ़ाना जरूरी है। लेकिन ये केवल लिथियम का भंडार मिलने से मुमकिन नहीं होगा। इसके लिए लिथियम का इस्तेमाल बैटरी निर्माण में करना जरूरी है। इसके लिए भारत को चीन से सीखने की जरूरत है।
- साल 2020 से भारत लिथियम आयात करने के मामले में दुनिया में चौथे नंबर पर है। भारत अपनी लिथियम-आयन बैटरियों का करीब 80% हिस्सा चीन से मंगाता है
- भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए अर्जेंटीना, चिली, ऑस्ट्रेलिया और बोलिविया जैसे लिथियम के धनी देशों की खदानों में हिस्सेदारी खरीदने पर काम कर रहा है। देश में ही लिथियम मिलने से बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा।
- कमोडिटी मार्केट में मेटल की कीमत भी रोज तय होती है। इस समय एक टन लिथियम की कीमत 57.36 लाख रुपये है। भारत में 59 लाख टन लिथियम का भंडार मिला है यानी इसकी वैल्यू आज के वक्त में 3,384 अरब रुपये होगी।

स्वच्छ भारत मिशन

समाचार पत्रों में क्यों?

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत देश में अब तक 1.80 लाख गांव 'ओडीएफ प्लस' घोषित हो चुके हैं। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2024 तक देश के सभी गांवों को इसके अधीन लाना है।

त्वरित मुद्दा?

- देश में अब तक 1.80 लाख से अधिक गांवों ने 'ODF Plus' (खुले में शौच से मुक्त-प्लस) का दर्जा हासिल किया है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- सार्वभौमिक स्वच्छता प्राप्त करने के लिए किए जा रहे प्रयासों में तेजी लाने के लिए और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने हेतु भारत के प्रधान मंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का आरंभ किया था।
- मिशन के तहत, भारत में सभी गांवों, ग्राम पंचायतों, जिलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ग्रामीण भारत में 100 मिलियन से अधिक शौचालयों का निर्माण करके 2 अक्टूबर 2019, महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती तक स्वयं को "खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि खुले में शौच न करने की प्रथा स्थायी रहे, कोई भी वंचित न रह जाए और ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन की सुविधाएं सुलभ हों, मिशन अब अगले चरण अर्थात् 'ओडीएफ प्लस' की ओर अग्रसर है।

- ODF : किसी क्षेत्र को ODF के रूप में अधिसूचित या घोषित किया जा सकता है यदि दिन के किसी भी समय, एक भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं करता है।
- ODF+: एक शहर को ODF + घोषित किया जा सकता है, यदि किसी दिन किसी भी व्यक्ति को खुले में शौच और / या पेशाब करते हुए नहीं पाया जाता है और सभी सामुदायिक तथा सार्वजनिक शौचालय कार्यात्मक अवस्था में एवं सुव्यवस्थित हैं।
- ODF++: एक शहर को ODF++ घोषित किया जा सकता है, यदि वह पहले से ही ODF + स्थिति में हैं और वहाँ मल कीचड़ / सेप्टेज (Faecal sludge/Septage) और नालियों का सुरक्षित रूप से प्रबंधन तथा उपचार किया जाता है एवं किसी प्रकार के अनुपचारित कीचड़ / सेप्टेज (Sludge/Septage) और नालियों की निकासी जल निकायों या खुले क्षेत्रों के नालों में नहीं होती है।